

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

दिनांक: 21 दिसंबर 2021

सीपीएसई से संबंधित कमर्शियल प्रतिवेदन संख्या 14 संसद में प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के 2021 की प्रतिवेदन संख्या 14 में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) तथा संदर्भित निगमों को शासित करने वाली संविधियों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के अधिकारियों द्वारा केंद्र सरकार की कंपनियों और निगमों के लेखों और अभिलेखों की नमूना जांच के परिणामस्वरूप देखे गए। प्रतिवेदन में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं। प्रतिवेदन को आज संसद में प्रस्तुत किया गया।

2. इस प्रतिवेदन में 10 मंत्रालयों/ विभागों के अन्तर्गत 32 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) से संबंधित 42 पृथक टिप्पणियां शामिल हैं। पृथक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का कुल वित्तीय निहितार्थ `4,779.99 करोड़ है।

3. प्रतिवेदन में शामिल कुछ महत्वपूर्ण पैराग्राफों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

उपभोक्ताओं से टर्नओवर कर की वसूली के माध्यम से अनुचित संवर्धन

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1957 के कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन में आंध्र प्रदेश में उपभोक्ताओं से टर्नओवर टैक्स का `262.60 करोड़ एकत्र किया और बाद में `262.60 करोड़ की लगायी गयी कुल शास्ति के प्रति, `65.65 करोड़ (25 प्रतिशत) का भुगतान करके तेलंगाना सरकार के साथ कानूनी मामले का निपटान किया, जिसके परिणामस्वरूप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को `196.95 करोड़ का अनुचित संवर्धन हुआ।

(पैरा 2.1)

प्रदूषण मंजूरी की सांविधिक अपेक्षा का पालन न करने के परिणामस्वरूप निष्फल व्यय हुआ

दो पुराने और कम कुशल ऑयल फायर्ड बॉयलरों को बदलने के लिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपनी गुवाहाटी रिफाइनरी (रिफाइनरी) के लिए `132.58 करोड़ (मार्च 2018 में `163.09 करोड़ तक संशोधित) की अनुमानित लागत पर एक पेटकोक फायर्ड बॉयलर (बॉयलर) स्थापित करने का निर्णय लिया (जून 2015)। नए बॉयलर से रिफाइनरी के विद्युत उत्पादन और भाप लागत में प्रति वर्ष `79.40 करोड़ तक कमी आने की उम्मीद थी। बॉयलर के निर्माण से पहले

संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 'स्थापना की सहमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त करना अपेक्षित था। हालांकि अप्रैल 2018 में, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम को 'स्थापना की सहमति/अनापत्ति प्रमाणपत्र' के लिए आवेदन किया था, जबकि परियोजना पहले ही 70-80 प्रतिशत तक पूरी हो चुकी थी। तत्पश्चात, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम ने बाँयलर परियोजना के संबंध में सभी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश के साथ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया (अगस्त 2018)। इस प्रकार, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सांविधिक अपेक्षा का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप अब तक परियोजना पर किए गए ₹120.38 करोड़ का संपूर्ण व्यय निष्फल हो गया जबकि बाँयलर के चालू न होने के कारण प्रति वर्ष ₹79.40 करोड़ के लागत लाभ को छोड़ दिया गया।

(पैरा 2.2)

उच्च दबाव गैस के प्रज्वलन के कारण हानि

मुंबई उच्च अपतटीय क्षेत्रों के अपतटीय प्रक्रिया प्रणाली में तेल, पानी और गैस को अलग करने की प्रक्रिया में विकसित उच्च दबाव गैस को प्रोसेस गैस कंप्रेसर में संपीड़ित किया जाता है और गैस को उठाने के उद्देश्य से कुओं में भरी जाती है। इस प्रक्रिया में, शेष गैस को आगे की प्रक्रिया और उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए उरण में ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के गैस प्रसंस्करण संयंत्र में पहुँचाया जाता है। संपीड़न में किसी भी व्यवधान से मूल्यवान उच्च दबाव गैस का प्रज्वलन होता है जिसका पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 2012-13 से 2019-20 की अवधि के दौरान, स्टैंडबाय प्रोसेस गैस कम्प्रेसर की अनुपलब्धता, बिजली की खराबी और प्रोसेस गैस कम्प्रेसर के बार-बार ट्रिपिंग के कारण मुंबई उच्च क्षेत्रों में ₹816.08 करोड़ मूल्य की उच्च दबाव गैस प्रज्वलित हो गई थी।

(पैरा 2.4)

नियमित केसिंग पाइपों की अधिप्राप्ति में विलंब के कारण परिहार्य व्यय

ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुंबई हाई एसेट एंड बेसिन एंड सैटेलाइट एसेट्स ने निगमित सामग्री प्रबंधन समूह को वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए केसिंग पाइप की अधिप्राप्ति के लिए मांगपत्र भेजे। निगमित सामग्री प्रबंधन ने दोनों वर्षों के मांगपत्रों को इक्ठठा कर दिया और एक निविदा जारी की और 176 दिनों के निर्धारित समय के प्रति निविदा को अंतिम रूप देने में 782 दिन से अधिक का समय लिया। खरीद आदेश देने और सामग्री की प्राप्ति में विलम्ब के परिणामस्वरूप महंगे (2 से 2.5 गुना) केसिंग पाइपों का उपयोग हुआ जिसके कारण कंपनी ने ₹21.56 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

(पैरा 2.6)

महानदी-बंगाल-अंडमान बेसिन, कोलकाता में विभागीय रिग की निष्क्रियता और त्रिपुरा एसेट में एक और रिग को किराए पर लेने के कारण परिहार्य व्यय

कोलकाता में ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के महानदी-बंगाल-अंडमान बेसिन ने टाइप-I विभागीय रिग (3,050 मीटर तक की ड्रिलिंग गहराई क्षमता) का उपयोग करके ड्रिलिंग गतिविधियों को पूरा किया। बैरकपुर कुएं में न्यूनतम कार्य कार्यक्रम को पूरा करने के लिए रिग-III (6,100 मीटर तक की ड्रिलिंग गहराई क्षमता) को अगरतला से कोलकाता लाने का निर्णय लिया गया क्योंकि यह कुआं उपलब्ध टाइप-I विभागीय रिग की क्षमता से अधिक गहरा था। इसलिए, टाइप-III रिग को मई 2020 में त्रिपुरा एसेट से निर्मुक्त किया गया और जनवरी 2020 में शुरू किया गया। चूंकि महानदी-बंगाल-अंडमान बेसिन, कोलकाता में तैयार स्थान उपलब्ध नहीं था, रिग 213 दिनों तक बेकार पडी रही। इसके अलावा, त्रिपुरा एसेट में अपना परिचालन जारी रखने के लिए, ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक और रिग किराए पर लिया। इस प्रकार अनुचित नियोजन के कारण, ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 29.69 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

(पैरा 2.7)

पर्याप्त सुविधाओं का सृजन न करने के परिणामस्वरूप कम दबाव वाली गैस का परिहार्य प्रज्वलन

ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की मेहसाणा एसेट संबद्ध और मुक्त गैस का उत्पादन करती है जिसे या तो आंतरिक उपयोग के लिए उपभोग किया जाता है, या उपभोक्ताओं को बेचा जाता है या प्रज्वलन किया जाता है। मेहसाणा एसेट में पर्याप्त सुविधाओं में देरी और गैर-सृजन के परिणामस्वरूप 193 लाख मानक क्यूबिक मीटर गैस का परिहार्य प्रज्वलन हुआ, जिसके कारण ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड को अप्रैल 2016 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान 15.13 करोड़ के राजस्व की परिहार्य हानि हुई।

(पैरा 2.8)

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्धारित ऋण-इक्विटी अनुपात का रखरखाव न होने के कारण दण्डात्मक ब्याज का परिहार्य भुगतान

ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी ओएनजीसी पेट्रो एडिंशंस लिमिटेड (ओपीएएल) ने 21,396 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ एक परियोजना शुरू की

और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ के साथ रुपये ऋण करार (जनवरी 2013) पर हस्ताक्षर किए और बाद में (जुलाई 2014) परियोजना की लागत को संशोधित कर के `27,011 करोड़ कर दिया। ओपीएएल ने तदनुसार एसबीआई और बैंकों के संघ के साथ एक संशोधन करार पर हस्ताक्षर किए और अनुसूचित वाणिज्यिक संचालन तिथि 30 जून 2015 निर्धारित की और सहमति दी कि समग्र परियोजना लागत को 31 दिसंबर 2015 तक 66:34 के ऋण-इक्विटी अनुपात के साथ और उसके बाद 58:42 के रूप में वित्त पोषित किया जाएगा, जिसके विफल होने पर बैंकों द्वारा 01 जून 2015 से 1 प्रतिशत प्रतिवर्ष का अतिरिक्त ब्याज प्रभारित किया जाएगा। ओपीएएल विस्तारित समय अवधि के भीतर भी आवश्यक इक्विटी भाग को जोड़ नहीं सका और `25.81 करोड़ का परिहार्य शास्तिक ब्याज लगाया गया।

(पैरा 2.9)

सीवीसी के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में कार्य देने के द्वारा निजी पार्टियों को दिया गया अनुचित लाभ

केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों की अवहेलना में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने `10.60 करोड़ के मूल्य वाले अपने तेल और गैस भंडारों का नामांकन के आधार पर निजी पार्टियों को लेखापरीक्षण का कार्य दिया, जिससे निजी पार्टियों को अनुचित लाभ मिला।

(पैरा 2.10)

संविदाकार को अनुचित लाभ

एनएचपीसी लिमिटेड ने संविदा करार में गारंटीकृत न्यूनतम उत्पादन से कम विद्युत उत्पादन के लिए `11.61 करोड़ की शास्ति नहीं लगाई जिसके परिणामस्वरूप संविदाकार को अनुचित लाभ हुआ।

(पैरा 3.1)

ऋण और ब्याज की संदिग्ध वसूली

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने, संघीय ऋण देने के तहत, उचित परिश्रम किए बिना एस्सार पावर गुजरात लिमिटेड को एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए, `470 करोड़ का ऋण वितरित किया। चालू होने के बावजूद, ईंधन आपूर्ति करार के तहत सहमत दरों पर कोयले की आपूर्ति न होने के कारण परियोजना को व्यवहार्य रूप से नहीं चलाया जा सका और इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की संपूर्ण ऋण परिसंपत्ति `400.49 करोड़ के लिए गैर-निष्पादित परिसंपत्ति बन गई (अप्रैल 2018)। इसके परिणामस्वरूप 31 दिसंबर 2020 तक `400.49 करोड़ की ऋण राशि और `269.43 करोड़ के ब्याज की वसूली होना संदिग्ध है।

(पैरा सं. 4.1)

उधारकर्ताओं से बकाया की वसूली न होना

आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड ने अगस्त 2018 और मई 2016 में क्रमशः आशापुरा इंटीमेट्स फैशन लिमिटेड (₹10 करोड़) और आर्कोटेक लिमिटेड (₹15 करोड़) को ऋण संस्वीकृत किए। कंपनी दोनों ऋणों को संस्वीकृत/संवितरित करते समय अपनी ऋण नीति और ऋण करारों की शर्तों से विचलित हो गई और बकाया देयों की वसूली के लिए दोनों उधारकर्ताओं के गिरवी शेयरों की बिक्री के लिए शेयर गिरवी करारों के अनुपालन में समय पर कार्रवाई करने में भी विफल रही। इसके कारण आशापुरा इंटीमेट्स फैशन लिमिटेड (₹12.55 करोड़) और आर्कोटेक लिमिटेड (₹14.79 करोड़) से ₹27.34 करोड़ के बकाया देयों की वसूली नहीं हुई।

(पैरा 4.2)

पुनर्बीमा स्वीकृतियों के तहत अन्य बीमाकर्ताओं से सेवाकर की वसूली न होना

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पुनर्बीमा संधि और करार के तहत अन्य सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा बीमा की गयी बीमा पॉलिसियों के अन्डरराईटिंग के हिस्से की स्वीकृति के लिए, पुनर्बीमा के तहत प्रीमियम प्राप्त करती है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इस प्रकार प्राप्त कुल प्रीमियम पर सेवा कर का भुगतान करता है। इसके बाद नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड उन बीमाकर्ताओं को चालान जारी करती है जिनसे इस प्रकार सेवाकर की वसूली के लिए प्रीमियम प्राप्त किया गया था। वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बीमाकर्ता वार मिलान किए बिना इस प्रकार प्राप्त कुल प्रीमियम पर सेवा कर का भुगतान किया। अभिलेखों का रख-रखाव न करने और प्राप्त पार्टी-वार पुनर्बीमा के प्रीमियम का मिलान करने में विफलता के कारण, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ₹23.81 करोड़ के सेवा कर की वसूली करने में विफल रही।

(पैरा 4.3)

स्टॉप लॉस पुनर्बीमा कवर प्राप्त करने में विफलता के परिणामस्वरूप हानि हुई

दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक फसल बीमा योजना, 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों की पहचान के लिए निविदा प्रक्रिया में भाग लिया और चयनित हुई (अगस्त 2016)। कंपनी ने बीमा की गयी राशि के 80 प्रतिशत के लिए पुनर्बीमा लिया और शेष 20 प्रतिशत के लिए स्वयं जोखिम उठाने का फैसला किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी 'हानि रोकने की संधि व्यवस्था' लेकर 20 प्रतिशत का अपना ऋण जोखिम भी सुरक्षित कर सकती थी लेकिन कंपनी द्वारा इस संबंध में कोई लागत-लाभ विश्लेषण नहीं किया गया था। कंपनी ने इस योजना के लिए ₹501.96 करोड़ का प्रीमियम अर्जित किया (जिसमें सह-बीमाकर्ताओं जैसे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में प्रत्येक का हिस्सा 25 प्रतिशत प्रीमियम पर शामिल है) जिसके प्रति

कुल दावा व्यय `1,496.21 करोड़ था। जबकि अंतर का 80 प्रतिशत पुनर्बीमा के माध्यम से कवर किया गया था, 20 प्रतिशत, जो `299.24 करोड़ बनता है, को कवर नहीं किया गया था। यदि कंपनी ने हानि रोकने का पुनर्बीमा कवर लिया होता, तो इस तरह के हानि रोकने के बीमा कवर की लागत `16.56 करोड़ (लगभग) के रूप में मानने के बाद, यह आंशिक रूप से `63.76 करोड़ की हानि को कवर कर सकती थी।

(पैरा 4.4)

प्रीमियम दर के कम निर्धारण और उच्च दावा अनुपात के कारण हानि

तेलंगाना राज्य में लागू किए गए वर्ष 2016-17 के लिए पशुधन बीमा का राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत बीमा करते हुए समाप्त हो रही पॉलिसी के उपगत दावा अनुपात का पता लगाने में दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप प्रीमियम का कम निर्धारण हुआ और बाद में उच्च दावा अनुपात के कारण `10.31 करोड़ की हानि हुई।

(पैरा 4.5)

वित्तीय हित की सुरक्षा न करने के परिणामस्वरूप सुरक्षा शुल्क के भुगतान के प्रति अतिरिक्त भार गुजरात में 75 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की संविदा मार्च 2018 में गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को दी गई थी। इस संविदा के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को फोटो वोल्टिक मॉड्यूल की आपूर्ति भी करनी थी। इन फोटो वोल्टिक मॉड्यूल पर डंपिंग रोधी/ सुरक्षा शुल्क, यदि कोई हो, की प्रतिपूर्ति तभी की जानी थी यदि आपूर्ति निर्धारित समय के भीतर पूरी की गयी हो। फोटो वोल्टिक मॉड्यूल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा तीन आपूर्तिकर्ताओं से अधिप्राप्त किए गए थे, जिसमें से दो से आपूर्ति सुपुर्दगी शुल्क प्रदत्त आधार पर थी, अर्थात् परियोजना स्थल तक सभी कर और शुल्क आपूर्तिकर्ताओं द्वारा वहन किए जाने थे और एक विक्रेता से आपूर्ति लागत, बीमा, भाड़ा आधार पर न्हावाशेवा, मुंबई बंदरगाह पर थी। चूंकि आपूर्तिकर्ता से डिलीवरी, जिसने लागत, बीमा, भाड़ा आधार पर आपूर्ति की, को निर्धारित समय के भीतर सुनिश्चित नहीं किया गया था, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने आयात की निकासी के लिए सुरक्षा शुल्क के भुगतान के लिए `11.58 करोड़ की अतिरिक्त देयता को वहन किया।

(पैरा 5.2)

ट्रेगलाइनों की गारंटीकृत उपलब्धता सुनिश्चित करने में हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड की विफलता के कारण हानि

हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड से इलेक्ट्रिक वॉकिंग ड्रैगलाइन की आपूर्ति, उत्थापन और शुरू करने के लिए आदेश प्राप्त हुआ (30 सितंबर 2009)। बाद में एक ही दर पर ड्रैगलाइन के दो और सेट जोड़कर इसमें संशोधन किया गया। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को तीन ड्रैगलाइन की आपूर्ति की जो मई 2014, जनवरी 2016 और मई 2019 में शुरू की गई थीं। हालांकि, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड पहले दो ड्रैगलाइन की गारंटी उपलब्धता सुनिश्चित करने में असमर्थ था। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने परिणामस्वरूप ₹32.74 करोड़ मूल्य की चार बैंक गारंटियों का नकदीकरण किया (25 सितंबर 2019)। इस प्रकार, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को आपूर्ति की गई दो ड्रैगलाइनों की गारंटीकृत उपलब्धता सुनिश्चित करने में विफलता के कारण क्रेता द्वारा निष्पादन बैंक गारंटी का नकदीकरण करने के कारण ₹32.74 करोड़ की हानि हुई।

(पैरा 5.3)

कॉपर ओर टेलिंग्स बेनेफिसिएशन प्लांट के निर्माण के प्रति अलाभप्रद व्यय

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (कंपनी) ने खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स में एक प्रायोगिक संयंत्र को चालू करने और परिचालित करने के लिए स्टार ट्रेस प्राइवेट लिमिटेड को ₹6.98 करोड़ के कुल मूल्य पर लगाया, जो प्रतिदिन 200 टन कॉपर ओर टेलिंग्स ट्रीट करने की क्षमता रखता है। कंपनी ने जून, 2016 में प्रायोगिक परियोजना के चालू होने से पहले ही मलांजखंड कॉपर परियोजना में एक पूर्ण पैमाने पर संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया (मई 2016), जिसमें प्रति दिन 10,000 एमटी कॉपर ओर टेलिंग्स की प्रक्रिया की क्षमता है। कंपनी ने मलांजखंड कॉपर परियोजना में 3.29 मिलियन टन प्रति वर्ष कॉपर ओर टेलिंग्स बेनेफिसिएशन प्लांट की स्थापना के लिए स्टार ट्रेस प्राइवेट लिमिटेड को संविदा दी। प्रायोगिक परियोजना परिचालन के 33 महीने के बाद भी अपने परिकल्पित मापदंडों को प्राप्त करने में विफल रही और वाणिज्यिक और तकनीकी पहलुओं पर भी अव्यवहार्य पाया गया। मलांजखंड कॉपर परियोजना संयंत्र के लिए परीक्षण जांच और विश्वसनीयता परीक्षण जांच वांछित परिणाम प्राप्त करने में विफल रही। इसलिए, प्रौद्योगिकी, जिसे अभी प्रमाणित किया जाना था, को अपनाकर, कंपनी ने न केवल अपने संसाधनों को व्यर्थ किया, बल्कि प्रायोगिक संयंत्र के परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना इसे अपस्केलिंग करके ₹158.05 करोड़ का अनुचित और अविवेकपूर्ण निवेश निर्णय भी लिया, जो विफल साबित हुआ।

(पैरा 6.1)

अविवेकपूर्ण वित्तपोषण के परिणामस्वरूप प्राप्य राशि का उगाही न होना

एमएसटीसी लिमिटेड (एमएसटीसी) ने फैसिलिटेटर मोड के तहत लो एश मेटालार्जिकल कोक, कोयला और मैलटिंग स्क्रेप के आयात/ अधिप्राप्ति के वित्तपोषण के लिए एक प्राइवेट पार्टी कॉन्कास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड के साथ 12 दिसंबर 2012 से एक करार किया (अप्रैल 2013)। करार के अनुसार, सामग्री को एमएसटीसी के नाम प्रतिभूत रखा जाना था और एक अभिरक्षक की अभिरक्षा में कॉन्कास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड के संयंत्र के भीतर स्थित एक नामित गोदाम में संगृहीत किया जाना था। हालांकि, कॉन्कास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड की खराब वित्तीय स्थिति से अवगत होने के बावजूद एमएसटीसी ने क्रेडिट लिमिट ऋण जोखिम बढ़ाकर समय-समय पर कॉन्कास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड का वित्तपोषण जारी रखा। एमएसटीसी को कॉन्कास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड के फरवरी 2021 तक कुल बकाया देय '220.84 करोड़ थे और इसके प्रति कोई वसूली नहीं की जा सकी। चूंकि, राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ने एमएसटीसी को कॉन्कास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड के हितधारकों की सूची में अप्रतिभूत परिचालन क्रेडिटर के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए वसूली की संभावना कम प्रतीत होती है और एमएसटीसी ने वर्ष 2018-19 के लिए लेखा पुस्तकों में कॉन्कास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड के पूरे बकाया देयों के लिए भी प्रावधान किया। इस प्रकार, कॉन्कास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड को फैसिलिटेटर मोड के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रति एमएसटीसी के अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप '220.84 करोड़ की प्राप्य राशियों की वसूली नहीं हुई।

(पैरा 7.1)

खनन पट्टे के लिए पंजीकरण प्रभारों और स्टाम्प शुल्क का दो बार भुगतान

एनएमडीसी लिमिटेड ने एक ही खान (डिपॉजिट 13) को एक वर्ष के भीतर दो बार पंजीकृत करने के लिए, पहले एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा और फिर दूसरी बार इसकी संयुक्त उद्यम कंपनी एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड द्वारा पंजीकरण प्रभारों और स्टाम्प शुल्क के भुगतान के कारण '48.36 करोड़ का परिहार्य व्यय किया। शेयरधारकों सह संयुक्त उद्यम करार में पंजीकरण प्रभारों और स्टाम्प शुल्क के भुगतान से छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार से विशिष्ट आश्वासन प्राप्त करने में एनएमडीसी लिमिटेड की विफलता के कारण, एनएमडीसी लिमिटेड को अतिरिक्त भार वहन करना पड़ा।

(पैरा 7.3)

शास्तिक ब्याज के कारण परिहार्य व्यय

दि उडीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओएमडीसी) ओडिशा में स्थित छह लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क खनन पट्टों का संचालन करती है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय

(अगस्त 2017) ने फैसला सुनाया कि पर्यावरण मंजूरी और वन मंजूरी के बिना/से अधिक उत्पादन जैसी अवैध खनन गतिविधियों के लिए पट्टेदारों पर शास्ति लगायी जाए। तदनुसार, ओडिशा सरकार ने पर्यावरण मंजूरी के उल्लंघन के लिए ओएमडीसी से `643.27 करोड़ और खनन योजना और परिचालन की सहमति में निर्धारित अनुमोदित सीमा से अधिक खनिजों के उत्पादन के लिए `58.91 करोड़ की शास्ति की मांग की (सितंबर/अक्टूबर 2017)। केंद्रीय शक्ति प्राप्त समिति, ओडिशा सरकार, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत सरकार द्वारा भुगतान के लिए स्पष्ट निर्देशों और कंपनी द्वारा प्राप्त कानूनी सलाह (दिसंबर 2017/मई 2018/दिसंबर 2018) के बावजूद, ओएमडीसी ने निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रतिपूर्ति का पूर्ण भुगतान नहीं किया। विलम्ब के परिणामस्वरूप `174.04 करोड़ के शास्तिक ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

(पैरा 7.7)

सामरिक साझेदार की समूह कंपनियों को वस्त्र व्यापार कारोबार में अनुचित लाभ देने के कारण हानि

नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 51 प्रतिशत शेयरहोल्डिंग और सामरिक साझेदार द्वारा शेष 49 प्रतिशत शेयरहोल्डिंग के साथ निजी भागीदारी के माध्यम से इंडिया यूनाइटेड मिल नंबर 1, एक बीमार इकाई के पुनरुद्धार के लिए इंडिया यूनाइटेड टेक्सटाइल मिल लिमिटेड (आईयूटीएमएल) को निगमित किया गया था (नवंबर 2007)। फरवरी से अप्रैल 2019 के दौरान, आईयूटीएमएल ने लिखित संविदा, प्रतिभूति और ब्याज शर्तों के बिना सामरिक साझेदार की एक समूह कंपनी को कुल `109.34 करोड़ (30 अलग-अलग भुगतान) का अग्रिम प्रदत्त किया। आईयूटीएमएल ने आज तक (मार्च 2021) न तो कपड़े की सामग्री प्राप्त की है और न ही अग्रिम और उस पर ब्याज की वसूली की है। आईयूटीएमएल के कपड़ा व्यापार कारोबार में 90 से 120 दिनों की क्रेडिट अवधि की अनुमति थी, लेकिन भुगतान में किसी भी देरी के लिए कोई ब्याज नहीं लगाया गया था। अग्रिमों का अनियमित भुगतान और सामरिक साझेदार की समूह कंपनियों से बिक्री आय की देरी से प्राप्ति के परिणामस्वरूप `109.34 करोड़ की अग्रिम राशि को अवरुद्ध करने के अलावा `29.70 करोड़ की हानि हुई।

(पैरा 8.1)

हस्तांतरणीय विकास अधिकारों की वसूली न होना

इंडिया यूनाइटेड मिल नंबर 6 मुंबई में स्थित नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीसी) की एक बंद कपड़ा मिल थी और महाराष्ट्र सरकार (जीओएम) ने डॉ बीआर अम्बेडकर के स्मारक के निर्माण के लिए इस भूमि (लगभग 12 एकड़) के हस्तांतरण के लिए अनुरोध किया था। जीओएम ने भूमि के मूल्य के लिए हस्तांतरणीय विकास अधिकारों के रूप में एनटीसी की क्षतिपूर्ति

करने की पेशकश की (मार्च 2016) जिसे `1,413 करोड़ के रूप में निकाला गया था और हस्तांतरणीय विकास अधिकारों की बिक्री की सुविधा के लिए भी पेशकश की गई थी। एनटीसी के निदेशक बोर्ड ने हस्तांतरणीय विकास अधिकारों की बिक्री के लिए एक समिति का गठन किया (जनवरी 2018), लेकिन बाद में एनटीसी की ओर से हस्तांतरणीय विकास अधिकारों को इस आधार पर बेचने के लिए जीओएम से अनुरोध करने का निर्णय लिया (अगस्त 2018) कि एनटीसी द्वारा प्राप्त प्रतिफल की राशि तय की गई थी और जीओएम हस्तांतरणीय विकास अधिकारों की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए सहमत हो गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जीओएम की ओर से कोई पूर्व करार या सहमति नहीं थी कि वे हस्तांतरणीय विकास अधिकारों की बिक्री करेंगे और एनटीसी को सहमत राशि सौंप देंगे। एनटीसी द्वारा हस्तांतरणीय विकास अधिकारों की बिक्री के लिए सकारात्मक कार्रवाई के अभाव के परिणामस्वरूप चार वर्षों के लिए `1,413 करोड़ की वसूली नहीं हुई और `268 करोड़ के ब्याज की परिणामी हानि हुई।

(पैरा 8.2)

विद्युत् भार का अपर्याप्त निर्धारण होने से राजस्व की हानि

एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एएआई) ने गोवा विमानपत्तन पर खाद्य एवं पेय (एफएंडबी) आउटलेट के विकास, विक्रय सेटअप, संचालन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए मेसर्स ट्रैवल फूड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (मेसर्स टीएफएस) के साथ एक रियायती करार किया (24 सितंबर 2018)। प्रारंभ में, गोवा विमानपत्तन ने लगभग 2,600 किलोवाट की वास्तविक खपत के प्रति 4,000 किलोवाट के बिजली भार को संस्वीकृति दी थी, चूंकि पुराने टर्मिनल भवन से परिचालन बंद कर दिया गया था। इसलिए शास्तिक प्रभारों से बचने के लिए लगभग 1,000 किलोवाट के अप्रयुक्त भार को अभ्यर्पित कर दिया गया था (जून 2015)। इसलिए, एएआई को इस बात की जानकारी थी कि वर्तमान स्वीकृत भार केवल परिचालनात्मक आवश्यकता के लिए था और वाणिज्यिक संचालन शुरू करने के लिए अतिरिक्त स्वीकृत भार (लगभग 827 किलोवाट) की आवश्यकता थी। एएआई ने 1,500 किलोवाट के अतिरिक्त स्वीकृत लोड के लिए आवेदन किया (12 नवंबर 2018), जिसे गोवा बिजली विभाग द्वारा 3 जनवरी 2019 को इस शर्त पर संस्वीकृति किया गया था कि संविदा की मांग को बढ़ाने के लिए `5.67 करोड़ की लागत एएआई द्वारा वहन की जाएगी। हालांकि आज तक इलेक्ट्रिकल का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है और एएआई डीजी सेट के माध्यम से गोवा विमानपत्तन पर उपलब्ध भार से मेसर्स टीएफएस को बिजली की आपूर्ति कर रहा है। पूर्ण लोड की उपलब्धता न होने के कारण, मेसर्स टीएफएस ने नवंबर 2019 में एएआई द्वारा उठाई गई मांग के प्रति `17.30 करोड़ की और झूट का दावा किया। अतः अपर्याप्त निर्धारण तथा

गोवा विमान पत्तन पर अपेक्षित विद्युत भार की व्यवस्था में विलम्ब के परिणामस्वरूप `15.66 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(पैरा 9.1)

एयर इंडिया लिमिटेड द्वारा हटाए गए घटकों को लौटाने में देरी के कारण शास्ति का परिहार्य भुगतान

एयर इंडिया लिमिटेड (एआईएल) ने 6 जुलाई 2016 से प्रभावी रोटेबल एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए मेसर्स बोइंग के साथ एक करार किया, जिसके अनुसार एआईएल बोइंग के सेवायोग्य घटक के साथ एक अनुपयोगी हटाए गए घटक का आदान-प्रदान कर सकता है। मेसर्स बोइंग अदान-प्रदान घटकों के लिए संबंधित मरम्मत, ओवरहाल और संशोधन सेवा प्रदान करता है। करार के अनुसार, एआईएल को 10 कैलेंडर दिनों के भीतर बोइंग के प्राथमिक केंद्र में प्रत्येक हटाए गए घटक को वापस/वितरित करना था, जिसमें विफल होने पर एआईएल विलंब प्रतिफल प्रभारों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। इसके अलावा, यदि घटक 20 दिनों के भीतर सुपुर्द नहीं किया गया, तो एआईएल अतिरिक्त शास्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। जुलाई 2016 से दिसंबर 2019 की अवधि के दौरान हटाए गए घटक की वापसी में लगातार देरी के कारण एआईएल ने मेसर्स बोइंग को `43.85 करोड़ का शास्तिक भुगतान किया।

(पैरा 9.4)

चार लेन की बीओटी (टोल) परियोजनाओं के रियायत करारों में असंगत खंड का अवधारण

'पूर्ववर्ती शर्त' से संबंधित मॉडल रियायत करार के अनुच्छेद 4 के अनुसार, रियायत करार के तहत एनएचएआई और रियायतग्राही के अधिकार और दायित्व, निर्दिष्ट पूर्ववर्ती शर्तों से पूर्णतः संतुष्टि के अधीन होंगे। एनएचएआई द्वारा पूर्ववर्ती शर्तों में से एक 'फीस अधिसूचना जारी करना' है। इसके अलावा, मॉडल रियायत करार के अनुच्छेद 4.2 और 4.3 में बताया गया है कि यदि, एनएचएआई या रियायतग्राही, रियायत करार की किसी भी पूर्ववर्ती शर्त को पूर्ण करने में विफल रहे, तो वे क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। एनएचएआई ने मध्य प्रदेश राज्य में 15 जून 2015 और 27 अगस्त 2015, को क्रमशः शिवपुरी-गुना खंड के 236.00 किमी से 332.100 किमी तक चार लेन और ब्यावरा से देवास खंड के 426.100 किमी से 566.450 किमी तक चार लेन करने के लिए दो रियायत करार किए। लेखापरीक्षा ने पाया कि एनएचएआई करारों में फीस अधिसूचना जारी करने से संबंधित रियायती करार में पूर्ववर्ती शर्त के पूर्व खंड को बनाए रखने के कारण रियायतग्राहियों पर पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करने में उनके विलंब के लिए `12.36 करोड़ की क्षतिपूर्ति के उदग्रहण करने में विफल रहा, जो वास्तव में इस परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन की तिथि प्राप्त करने पर सड़क उपयोगकर्ताओं से फीस के संग्रहण के लिए आवश्यक था।

(पैरा 10.1)

सीवीसी के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए करार में क्षति गणना खंड में पश्च संविदा संशोधन का सहारा लेकर रियायतग्राही को अनुचित लाभ देना

एनएचएआई ने राजमार्गों को चौड़ा करने के लिए वेस्ट गुजरात एक्सप्रेसवे लिमिटेड (डब्ल्यू जीईएल) के साथ एक रियायती करार (मार्च 2005) किया। डब्ल्यूजीईएल को नियत तारीख से 20 साल की रियायत अवधि की अनुमति दी गई थी और रियायत अवधि के दौरान उपयोगकर्ताओं से टोल के संग्रहण की अनुमति दी गई थी। डब्ल्यूजीईएल ने आवधिक रखरखाव को पूरा करने में विलम्ब किया तथा करार के अनुसार `21.94 करोड़ की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में उदग्राह्य थी। हालांकि, सीवीसी दिशानिर्देशों के उल्लंघन में, एनएचएआई ने फरवरी 2018 की एनएचएआई के 'नीतिगत दिशानिर्देशों/आवधिक रखरखाव और क्षतियों के लिए गणना' के अनुसार क्षतिपूर्ति की गणना पद्धति को संशोधित करके रियायती करार में निर्दिष्ट से कम क्षतिपूर्ति लगाकर रियायतग्राही को `10.94 करोड़ का अनुचित लाभ दिया जो करार पर लागू नहीं था।

(पैरा 10.2)

BSC/SS/TT